

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2026

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (शिक्षक संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/04

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- 13-03-2026

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- 06-04-2026

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 27-04-2026

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 04-05-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- 27-04-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक-27-04-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक-04-05-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2026, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (शिक्षक संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/04 के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन शिक्षक संवर्ग के कुल रिक्त 58 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (शिक्षक संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/04 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भाँति समझ लें।

- 2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भाँति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
- 2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (27-04-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।
- 2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।
- 2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 27-04-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।
- 2.5 अभ्यर्थियों को आवेदन के समय विभागों/पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव विभाग/पद आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2.8 आवेदन(Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, शैतिज आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।
नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **“Enter Verification Code”** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **“सबमिट”** बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात **“अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र”** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर **View** करने के उपरान्त **“Continue”** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित (Select) किये गये पदों के सम्बन्ध में वरीयता अंकित करनी होगी तथा अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save and Submit** बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI** या **SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II- कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III- शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

V- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को **SBI** का ई-चालान download कर **SBI** की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरांत अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VII- अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.13- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

- अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमानि अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/1/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025 एवं शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 04-05-2026 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अधियाचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे0टी0सी0 ग्रेड) अध्यापक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400)	10	05	00	07	02	24	अस्थायी
02	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे0टी0सी0 ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400)	06	01	00	01	00	08	स्थायी/ अस्थायी
03	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे0टी0सी0) (कनिष्ठ वेतनमान)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400)	04	02	00	02	00	08	स्थायी/ अस्थायी
04	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच0टी0सी0 ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400)	02	01	00	01	00	04	स्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति	
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी	
05	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	01	01	00	00	00	02	स्थायी	
06	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	04	02	00	03	01	10	अस्थायी	
07	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	00	01	00	01	00	02	स्थायी व अस्थायी	
कुल पद				27	13	00	15	03	58		

सारिणी-2
कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(इ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे0टी0सी0 ग्रेड) अध्यापक	00	--	01 (D., H.H.)	00 (O.L., M.Dy., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	01	04	00
02	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे0टी0सी0 ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान)	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.A., O.L., M.Dy., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
03	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे0टी0सी0) (कनिष्ठ वेतनमान)	00	01 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., O.A., M.Dy., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	01	00
04	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच0टी0सी0 ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., B.L., M.Dy., O.A., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्यास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(इ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
05	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे0टी0सी0) (कनिष्ठ वेतनमान)	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., B.L., M.Dy., O.A., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
06	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे0टी0सी0 ग्रेड) अध्यापक	00	00 (L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., B.L., M.Dy., O.A., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	02	00
07	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे0टी0सी0) (कनिष्ठ वेतनमान) (विशेष चयन)	00	00 (B., L.V.)	00 (H.H.)	00 (O.L., O.A., M.Dy., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	00	00	00
कुल योग			00	01	01	00	--	--	01	08	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.Dy. (एम0डीवाई0)- Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

- 5.1- 30 प्र० की अनुसूचित जातियों, 30 प्र० की अनुसूचित जनजातियों, 30 प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं 30 प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFE) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025 एवं शासनादेश संख्या-3/2025/आई0/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं

कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।

- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- 18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हता-

सारिणी-3

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (श्रवण क्षीणता) में डिप्लोमा। (तीन) सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। (चार) श्रवण क्षीणजन के अध्यापन में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। अधिमानि अर्हता- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
02	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे०टी०सी० ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे०टी०सी० ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) एक विषय के रूप में संगीत के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या संगीत में कोई समकक्ष डिप्लोमा। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (क्षीण दृष्टि) में डिप्लोमा। (तीन) ब्रेल पद्धति में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। (चार) क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
03	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) (सामान्य चयन/विशेष चयन)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (क्षीण दृष्टि) में डिप्लोमा। (तीन) ब्रेल पद्धति में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। (चार) क्षीण दृष्टि जनों के अध्यापन के लिये विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
04	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच०टी०सी० ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच०टी०सी० ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा। (तीन) चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
05	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान)	<u>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (चल निःशक्तता/प्रमस्तिष्क घात) में डिप्लोमा। (तीन) चल निःशक्तता/ प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
06	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा (मानसिक रूप से अविकसित) में डिप्लोमा। (तीन) मानसिक अविकास में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) में पंजीकरण। अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

सारिणी-4

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष आयु का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
01	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
02	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे०टी०सी० ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान)	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे०टी०सी० ग्रेड) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
03	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
04	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच०टी०सी० ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान)	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक (एच०टी०सी० ग्रेड) (प्राथमिक वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
05	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान)	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी०) (कनिष्ठ वेतनमान) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
06	दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	ममता मानसिक रूप से अविक्सित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक	उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022) के अनुसार सेवा में ममता मानसिक रूप से अविक्सित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक (जे०टी०सी० ग्रेड) अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022), पत्र संख्या- 5563/दि0ज0स0वि0/अधि0 शिक्षक/2023-24, दिनांक-15-01-2024 एवं पत्र संख्या- 5691/दि0ज0स0 वि0/अधि0 शिक्षक/2023-24, दिनांक- 23-01-2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-487/47-का-3-2025 दिनांक-07.08.2025 के अनुसार किया जायेगा। जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

प्रथम चरण (लिखित परीक्षा)

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	(1) दिव्यांगता का परिचय	25	25	120 मिनट (दो घण्टा)
	(2) बाल विकास एवं अधिगम	20	20	
	(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016	20	20	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में	15	15	

	समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान			
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
	योग	100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

पाठ्यक्रम

भाग-1

(विषयगत ज्ञान)

इकाई-1 दिव्यांगताओं का परिचय

1- दिव्यांगताओं का परिचय

- (1) दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य- राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तथा दिव्यांगता के मॉडल
- (2) अवधारणा, अर्थ और परिभाषा-अपंगता, अंग-हानि, दिव्यांगता, गतिविधि सीमितता, प्रारम्भिक दक्षता विकास और पुनर्वास
- (3) परिभाषा, श्रेणियाँ (बेंचमार्क दिव्यांगताएँ) और भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक प्रावधान
- (4) दिव्यांगता के कारण, रोकथाम, प्रसार एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अवलोकन: राष्ट्रीय और वैश्विक
- (5) क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की अवधारणा, अर्थ और महत्त्व

2- दिव्यांगता की परिभाषा, कारण और रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन

- (1) गतिविषयक दिव्यांगता-पोलियोमाइलाइटिस, प्रमस्तिष्क घात/पेशीय दुष्प्रयोग
- (2) दृष्टिगत हास-अंधता और निम्न दृष्टि
- (3) श्रवण शक्ति का हास-बधिरता और ऊंचा सुनाई देना
- (4) वाक् और भाषा दिव्यांगता
- (5) बधिर-नेत्रहीनता और बहु दिव्यांगता

3- परिभाषा, कारण और रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन

- (1) बौद्धिक दिव्यांगता
- (2) विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएँ
- (3) स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार
- (4) मानसिक रूग्णता, बहु-दिव्यांगता
- (5) दीर्घकालिक तंत्रिका दशाएँ और रक्त विकृति

4- प्रारम्भिक पहचान और हस्तक्षेप

- (1) दिव्यांगताओं तथा दोहरे अपवाद बच्चों की प्रारम्भिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता और महत्त्व
- (2) क्रॉस दिव्यांगता प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का आयोजन
- (3) दिव्यांगताओं और दोहरे अपवाद बच्चों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन
- (4) प्रारम्भिक हस्तक्षेप में अभिभावकों, समुदाय, ECEC और अन्य हितधारकों की RPwD-2016 और NEP 2020 के अनुक्रम में भूमिका
- (5) प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल- (गृह-आधारित, केंद्र-आधारित, अस्पताल-आधारित, संयोजन) घर से स्कूल तक संक्रमण के संदर्भ में।

5- दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन

- (1) दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास-वर्तमान स्थिति, आवश्यकताएँ, मुद्दे और नैतिक ढाँचे के भीतर काम करने का महत्त्व
- (2) दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों (International Disability Alliance (IDA), UNESCO, UNICEF, UNDP, WHO) की भूमिका
- (3) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नीतियाँ जैसे- UNCRPD, MDGs और SDGs

- (4) दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थानों (AYJNISLD, ISLRTC, NIEPID, NIEPMD, NIEPVD, NILD, NIMHR, PDUNIPPD, SVNIRTAR) की भूमिका
- (5) दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की भूमिका

इकाई-2 बाल विकास और अधिगम

1- वृद्धि और विकास

- (1) वृद्धि और विकास की परिभाषा और अर्थ
- (2) विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक
- (3) प्रकृति बनाम पालन-पोषण
- (4) विकास के क्षेत्र: शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषा
- (5) विकासात्मक मील के पथर और विचलन तथा प्रतिभा की पहचान

2- विकास के आयु और चरण (जन्म से बचपन तक)

- (1) गर्भकाल (गर्भाधान से जन्म तक)
- (2) शैशव (जन्म से 2 वर्ष)
- (3) किशोरावस्था (2 से 4 वर्ष)
- (4) प्रारंभिक बचपन (7 वर्ष तक)
- (5) उत्तर-प्रारंभिक बचपन (7 से 14 वर्ष)

3- मनोविज्ञान और अधिगम

- (1) शैक्षिक मनोविज्ञान: शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता और दायरा
- (2) थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर, बंदुरा, पियाजे और वायगोत्स्की द्वारा दिए गए अधिगम के बुनियादी सिद्धांत
- (3) अधिगम शैलियाँ और विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी
- (4) अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक
- (5) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिणाम

4- मानसिक प्रक्रियाएँ और विभिन्न विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए उनके परिणाम

- (1) ध्यान; अवधारणा और कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक
- (2) धारणा; अवधारणा और धारणा को प्रभावित करने वाले कारक
- (3) स्मृति; प्रकार और बच्चों की स्मृति को बढ़ाने की रणनीतियाँ
- (4) बुद्धिमत्ता; परिभाषा, अर्थ और IQ का सांकेतिक भाषा महत्व, गार्डनर का बहु-बुद्धिमत्ता सिद्धांत
- (5) प्रेरणा; आंतरिक, बाहरी और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक

5- कक्षा प्रबंधन

- (1) प्रेरक अधिगम वातावरण: शारीरिक और भावनात्मक
- (2) बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएँ
- (3) व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण
- (4) व्यवहार प्रबंधन तकनीकें: संज्ञानात्मक और व्यवहारिक
- (5) समावेशी और विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के व्यवहार को संशोधित करना

इकाई-3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- (1) अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य
- (2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का सामान्य परिचय
- (3) शिक्षा में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका
- (4) अधिनियम और प्रावधान: मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 21A, 2002) और RTE अधिनियम 2009 और संशोधन: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित शैक्षिक प्रावधान
- (5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
- (6) उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 एवं इसके निहितार्थ
- (7) दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त का कार्यालय एवं राज्य आयुक्त कार्यालय की भूमिका और कार्यप्रणाली
- (8) विशेष विद्यालयों और समावेशी विद्यालयों का आयोजन

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - ✓ हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - ✓ इनपुट एवं आउटपुट।
 - ✓ इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
 - ✓ आईटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ✓ ई-मेल आईडीओ को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - ✓ प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - ✓ वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्वा।
 - ✓ ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी)

प्रश्न पत्र के इस भाग से अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय चरण (अर्हकारी परीक्षा)

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अगले चरण हेतु शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की पद की अर्हता के अनुसार सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में दक्षता परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में यथास्थिति सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। जिन पदों पर चयन हेतु पद की अर्हता में सांकेतिक भाषा/ब्रेल लिपि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के लिए दक्षता परीक्षण प्रक्रिया

सांकेतिक भाषा में दक्षता परीक्षण

अभ्यर्थी की सांकेतिक भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए परीक्षण को मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया गया है-

1- पाठ से सांकेतिक भाषा में रूपांतरण

2- सांकेतिक भाषा से पाठ में रूपांतरण

1- पाठ से सांकेतिक भाषा में रूपांतरण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की पाठ को पढ़ने की सटीकता (Accuracy) का परीक्षण करना और उसके अनुसार उपयुक्त सांकेतिक रूपांतरण बनाना है। इस परीक्षण में 20 से अधिक कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्द होंगे।

(क) पाठ की भाषा: पाठ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

- (ख) परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड: इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षण में न्यूनतम 10 कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्दों का सटीक रूपांतरण करना होगा।
- (ग) समय सारिणी: अभ्यर्थियों को पाठ को पढ़ने तथा उसका सांकेतिक रूपान्तरण बनाने हेतु 8 मिनट का समय दिया जायेगा।

2- सांकेतिक भाषा से पाठ में रूपांतरण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की सांकेतिक भाषाओं को पाठ में बदलने की क्षमता का परीक्षण करना है ताकि विभिन्न स्थितियों में भाषा और सांकेतिक भाषा को समझने की क्षमता की जाँच की जा सके। इस परीक्षण वीडियो में सांकेतिक भाषा के 20 से अधिक कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्द होंगे।

(क) पाठ की भाषा: पाठ केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड: अभ्यर्थियों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षण में न्यूनतम 10 कार्यात्मक शब्दों का सटीक रूपांतरण करना होगा।

(ग) समय सारिणी: अभ्यर्थियों को सांकेतिक भाषा का वीडियो देखने तथा उसे पाठ में रूपान्तरण हेतु 8 मिनट का समय दिया जायेगा।

ब्रेल लिपि योग्यता कौशल में पात्रता परीक्षण

इस परीक्षण को मुख्य रूप से अभ्यर्थी के ब्रेल लिपि में दक्षता का परीक्षण करने के लिए 2 घटकों में विभाजित किया गया है-

1- पाठ से ब्रेल लिपि लेखन परीक्षण

2- ब्रेल लिपि से पाठ लेखन परीक्षण

1- पाठ से ब्रेल लिपि लेखन परीक्षण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी द्वारा लिखे गए पाठ की सटीकता (Accuracy) का परीक्षण करना और उसके अनुसार उपयुक्त ब्रेल लिपि में लिखना है। परीक्षण का विवरण इस प्रकार है-

(क) पाठ की लंबाई: दिए गए पाठ की लंबाई हिंदी भाषा में 150-200 शब्दों की होगी।

(ख) समय सारिणी: अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

(ग) परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड: अभ्यर्थी को इस परीक्षण को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60 शब्दों के साथ ब्रेल लिपि में सटीक रूप से लिखना होगा।

2- ब्रेल लिपि से पाठ लेखन परीक्षण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की ब्रेल लिपि पाठ को कुशलता से पढ़ कर उसे हिन्दी भाषा में समझने की क्षमता का सटीक परीक्षण करना है।

(क) ब्रेल लिपि पाठ की लंबाई: इसके लिए दिए गए पाठ की कुल लंबाई हिंदी भाषा में 80-100 शब्दों की होगी।

(ख) ब्रेल लिपि पाठ का रूपांतरण: अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये गये पाठ को पढ़कर पाठ के ठीक नीचे दिए गए स्थानों में इसे हिंदी (देवनागरी लिपि) में लिखना होगा।

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों (यदि कोई हो) को दिए गए ब्रेल पाठ को पढ़कर इस प्रयोजन हेतु प्रदत्त अलग शीट पर ब्रेल लिपि में लिखना होगा।

(ग) समय सारिणी: अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

(घ) परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड: अभ्यर्थी को इस परीक्षण को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 शब्दों के साथ ब्रेल लिपि पाठ को सटीक रूप से पढ़कर लिखना होगा।

Examination Plan and syllabus for selection on vacant posts of direct recruitment of Teacher Cadre

First Stage (Written Exam)

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of

negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subject, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	(1) Introduction to Disability	25	25	120 Minutes (Two Hours)
	(2) Child development and learning	20	20	
	(3) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016	20	20	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the state of Uttar Pradesh	20	20	
Total		100	100	

Note- There is a provision of negative marking for each wrong answer for the above examination, which will be $\frac{1}{4}$ i.e. 25 percent of marks prescribed for that question.

Syllabus

Part-1

(Subject related Knowledge)

Section-1 Introduction to Disabilities

1- Introduction to Disabilities

- (1) Historical perspectives of Disability - National and International & Models of Disability
- (2) Concept, Meaning and Definition - Handicap, Impairment, Disability, Activity Limitation, Habilitation and Rehabilitation
- (3) Definition, categories (Benchmark Disabilities) & the legal provisions for PWDs in India
- (4) An overview of causes, prevention, prevalence & demographic profile of disability: National and Global
- (5) Concept, meaning and importance of Cross Disability Approach and Interventions

2- Definition, Causes & Prevention, Types, Educational Implication and Management of Disabilities

- (1) Loco Motor Disability - Poliomyelitis, Cerebral Palsy/Muscular Dystrophy
- (2) Visual Impairment - Blindness and Low Vision
- (3) Hearing Impairment - Deafness and Hard of Hearing
- (4) Speech and Language Disorder
- (5) Deaf - Blindness and Multiple Disabilities

3- Definition, Causes & Preventive measures, Types, Educational Implications and Management

- (1) Intellectual Disability
- (2) Specific Learning Disabilities
- (3) Autism Spectrum Disorder
- (4) Mental Illness, Multiple Disabilities
- (5) Chronic Neurological conditions and Blood Disorders

4- Early Identification and Intervention

- (1) Concept, need, importance and domains of early identification and intervention of disabilities and twice exceptional children
- (2) Organizing Cross Disability Early Intervention services
- (3) Screening and assessments of disabilities and twice exceptional children
- (4) Role of parents, community, ECEC and other stakeholders in early intervention as per RPwD- 2016 and NEP 2020
- (5) Models of early intervention- (home-based, centre-based, hospital-based, combination) with reference to transition from home to school

5- Human Resource in Disability Sector

- (1) Human resource development in disability sector - Current status, needs, issues and the importance of working within an ethical framework
- (2) Role of international bodies (International Disability Alliance (IDA) UNESCO, UNICEF UNDP, WHO) in Disability Rehabilitation Services
- (3) International conventions and Policies such as UNCRPD, MDGs and SDGs
- (4) Role of National Institutes (AYJNISLD, ISLRTC, NIEPID, NIEPMD, NIEPVD, NILD, NIMHR, PDUNIPPD, SVNIRTAR) in Disability Rehabilitation Services
- (5) Role of Information and Communication Technology (ICT) in disability inclusive services and development programmes

Section-2 Child Development and Learning

1- Growth and Development

- (1) Definition and meaning of growth and development
- (2) Principles and factors affecting development
- (3) Nature vs Nurture
- (4) Domains of development: Physical, social, emotional, cognitive, moral and language
- (5) Developmental milestones and identifying deviations and giftedness

2- Ages and stages of development (Birth to Childhood)

- (1) Prenatal (conception to birth)
- (2) Infancy (Birth to 2 year)
- (3) Toddler (2 to 4 years)
- (4) Early childhood (Up to 7 years)
- (5) Late childhood (7 to 14 years)

3- Psychology and Learning

- (1) Educational Psychology: relevance and scope for educators
- (2) Basic principles of learning given by Thorndike, Pavlov, Skinner, Bandura, Piaget and Vygotsky
- (3) Learning styles and types of learners
- (4) Socio-cultural factors affecting learning
- (5) Implications for children with special needs

4- Psychological processes and their implications for Children with different Disabilities

- (1) Attention; concept and factors affecting attention in classroom
- (2) Perception; concept and factors affecting perception
- (3) Memory; types and strategies to enhance memory of children
- (4) Intelligence; definition, meaning and sign language significance of IQ, Gardner's theory of Multiple Intelligences
- (5) Motivation; intrinsic, extrinsic and factors affecting motivation

5- Classroom Management

- (1) Stimulating learning environment: physical and emotional
- (2) Common behaviour problems in children
- (3) Functional analysis of behaviour
- (4) Behaviour management techniques: Cognitive and Behavioural
- (5) Modifying behaviours of children with special needs in inclusive and special classroom

Section-3 Rights and Provisions for Persons with Disabilities

- (1) Meaning, definition and aims
- (2) General Introduction of RPwD Act, 2016
- (3) Role of Government and Non-Govt agencies in education
- (4) Acts and Provisions: Free and compulsory education as fundamental rights article 21A of 2002) and RTE Act 2009 and Amendments: Educational provisions enshrined in RPWD Act, 2016
- (5) National Education Policy (NEP) 2020
- (6) The Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2017 and its implications
- (7) Role of office of the Chief Commissioner of Disabilities and State Commissioner Offices and their functioning
- (8) Organization of Special School and Inclusive School

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - ✓ Hardware and Software
 - ✓ Input and Output
 - ✓ Internet Protocol/IP Address
 - ✓ IT gadgets and their application
 - ✓ Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail
 - ✓ Operation of Printer, Tablet and Mobile
 - ✓ Important elements of Word Processing (MS-word) and Excel Processing (MS-Excel)
 - ✓ Operating System, Social Networking, e-Governance
- Digital Financial Tools and Applications
- Future Skills and Cyber Security

- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General Information related to The State of Uttar Pradesh)

In this part of the question paper, questions based on History, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dance, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forest, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration of Uttar Pradesh and Current Events and Achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc. will be asked from the candidates.

Second Stage (Qualifying Exam)

In the second stage, as per the eligibility criteria of the post, candidates shortlisted for the next stage of the selection process on the basis of marks in the written examination will be required to undergo Sign Language and Braille Script Proficiency Test, which will be of qualifying nature. For those posts where knowledge of Sign Language/Braille Script is not required in the eligibility criteria, further selection process will be conducted on the basis of written examination only.

Skill Test Procedure for Sign Language and Braille Script

Eligibility Test in Sign Language

The test is mainly divided into 2 components to test the sign language proficiency of the candidate-

- 1- Text to Sign Language Conversion
- 2- Sign Language to Text Conversion

1- Text to Sign Language Conversion

The main purpose of this test is to test the candidate's reading accuracy of the text and make appropriate code translations accordingly. This test will contain more than 20 Functional words.

The main objective of this test is to test the candidate's accuracy to read text and make the appropriate Sign Language accordingly. There will be more than 20 Functional words in this test.

- (a) **Language of the text:** The text will be made available in the English language.
- (b) **Qualifying criteria for the test:** To qualify this test, candidates must accurately convert a minimum of 10 Functional words in the test.
- (c) **Time Schedule:** Candidates will be given 8 minutes to read the text and make its sign.

2- Sign Language to Text Conversion

The main objective of this test is to test the candidate's ability to convert sign languages to text in order to check the ability to use the language and understand sign language in different situations. This test video will contain more than 20 Functional words of sign language.

- (a) **Language of the text:** The text will be provided in English language only.
- (b) **Qualifying criteria for the test:** Candidates must accurately convert a minimum of 10 Functional words in the test to qualify this test.

(c) **Time Schedule:** Candidates will be given 8 minutes to watch the sign language video and convert it into text.

Eligibility Test in Braille Script Competency Skills

This test is mainly divided into 2 components to test the candidate's proficiency in Braille script-

1- Text to Braille Script Writing Test

2- Braille Script to Text Writing Test

1- Text to Braille Script Writing Test

The main objective of this test is to test the accuracy of the text written by the candidate and to write it in the appropriate Braille script accordingly. The details of the test are as follows-

- (a) **Length of text:** The length of the text given will be 150-200 words in Hindi language.
- (b) **Time schedule:** Candidates will be given 10 minutes time for this test.
- (c) **Eligibility criteria for the test:** The candidate must write accurately in Braille script with a minimum of 60 words to qualify this test.

2- Braille Script to Text Writing Test

The main objective of this test is to accurately test the candidate's ability to read Braille text efficiently and understand it in Hindi language.

- (a) **Length of the Braille Script text:** For this, the total length of the given text will be 80-100 words in Hindi language.
- (b) **Conversion of the Braille Script Text:** Candidates are required to read the text provided and write it in Hindi (Devanagari Script) in the spaces provided just below the text.

Visually impaired candidates (if any) will have to read the Braille text provided and write it in Braille on a separate sheet provided for the purpose.

- (c) **Time Schedule:** Candidates will be given 10 minutes time for this test.
- (d) **Qualifying criteria for the test:** The candidate must be able to read and write Braille text accurately with a minimum of 40 words to qualify this test.

नोट:- प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के उपरान्त द्वितीय चरण की अर्हकारी परीक्षा के आयोजन हेतु आयोग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से विचार-विमर्श कर विशेषज्ञ परीक्षक/विशेषज्ञ सरकारी संस्था का निर्धारण किया जायेगा। तदनुसार आयोग द्वारा द्वितीय चरण की अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2026, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय (शिक्षक संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/04 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 27-04-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्रुत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा “उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026” निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 27-04-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-11, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 11.26- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।


सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट-1

ग्राम्य-1।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी..... ग्राम..... तहसील.....
..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की
जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका पारवार उत्तर प्रदेश
के ग्राम तहसील..... नगर..... जिला..... में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्रामतहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-राज्य संख्या-3/ 2019/ 4/ 1/ 2002/ क-2/ 18टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा

पोस्ट ऑफिस थाना

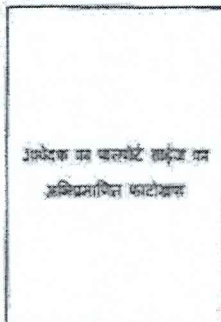
तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिस्तुत नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिस्तुत नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिस्तुत नहीं हैं।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी
मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-राज संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----नियासी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-I

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

(1) Name : _____

(Surname)

(First Name)

(Middle Name)

(2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____

(3) Date of Birth : _____ / _____ / _____

(Date)

(Month)

(Year)

(4) Age at the time of application : _____ years

(5) Sex: Male/Female/Transgender _____

(6) Address:

(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____

(7) Educational Status (please tick as applicable)

- (i) Post Graduate
- (ii) Graduate
- (iii) Diploma
- (iv) Higher Secondary
- (v) High School
- (vi) Middle
- (vii) Primary
- (viii) Non-literate

(8) Occupation _____

(9) Identification marks (i) _____ (ii) _____

(10) Nature of disability :

(11) Period since when disabled: From Birth//since year _____

(12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no

(ii) If yes, details:

(a) Authority to whom and district in which applied _____

(b)

Result

of

application

(13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth _____
(DD/MM/YY) Age _____ years, male/female _____ registration No. _____
permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____
Post Office _____ District _____ State _____,
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

(Dr. _____)

(Dr. _____)

Member
Medical Board with seal

Member
Medical Board with seal

Chairperson
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of _____ Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue
of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the
relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri

_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____

_____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

_____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the

guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued